भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 893

जिसका उत्तर 06 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है।

……..

छोटे जल निकायों का विकास किया जाना

893. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्षा जल पर कृषि की निर्भरता को कम करने के संबंध में गांवों के छोटे जल निकायों जैसे तालाब, आहर, कुंओं इत्यादि को विकसित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार इन जल स्रोतों को विकसित करने पर ध्यान देगी ताकि किसान विषम परिस्थितियों और जरूरत के समय इन जल स्रोतों से सिंचाई हेतु जल प्राप्त कर अपनी फसल को बचा सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके निमित्त कोई विशेष योजना कार्यान्वित की जाएगी ताकि व्यापक स्तर पर कार्य किया जा सके?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क) से (ग): जल निकायों अथवा जल स्रोतों के विकास सहित जल संसाधन परियोजनाओं का नियोजन, निधियन, निष्पादन और रख-रखाव संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत सरकार की भूमिका तकनीकी सहायता और मौजूदा योजनाओं के तहत कुछ मामलों में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

यह मंत्रालय जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के सतही लघु सिंचाई घटक के तहत चिन्हित योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान के तहत राज्य सरकारों द्वारा पारम्परिक और अन्य जल निकायों/टैंकों का भी पुनरूद्धार किया जा रहा है। इस संबंध में गतिविधियों के अंतर्गत पुराने बांधों का रख-रखाव/नए चैक बांधों/तालाबों का निर्माण, जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और इंवेन्टरी तैयार करना, टैंक/झीलों से अतिक्रमण को हटाना, टैंकों से गाद निकालना, चैनलों से बाधाओं को हटाना शामिल है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी लोक कार्य, भू-जल में वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं जैसे कि तटबंध, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध, चैक बांध और सार्वजनिक भवनों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन संरचनाओं के भी प्रावधान हैं।

*****